मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समर्पित नगरीय परिवहन निधि की प्रबन्ध समिति की दिनांकः 12.05.2020 को समय अपरान्ह 04.30 बजे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन/सचिव निधि प्रबन्ध समिति।
2. श्री आमोद कुमार, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री विकास गोठलवाल, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
4. श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री अवनीश कुमार शर्मा, निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय।
7. श्रीमती रश्मि सिंह, उप निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय।
8. श्री ए. रहमान, प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।
9. श्री जितेश निगम, प्रधान प्रबन्धक,सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम।

उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली–2013 के अन्तर्गत गठित निधि प्रबन्ध समिति की बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रन्सिंग (VIDYO app.) के माध्यम से सम्पन्न हुई।

प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा नगरीय परिवहन निदेशालय की पृष्ठभूमि के संबंध में संक्षिप्त में बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया एवं निधि प्रबन्ध समिति की गत बैठक दिनांक 08.08.2019 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गईः–

- अनुपालन आख्या के **बिन्दु संख्या–2** (यथा–एसपीवी मेरठ को नई बस दिये जाने के संबंध में) उक्त बिन्दु की अनुपालन आख्या में अवगत कराया गया है कि एन0जी0टी0 के आदेश के क्रम में मेरठ एस0पी0वी0 द्वारा संचालित 120 डीजल बसों को उनकी संचालन अवधि (10 वर्ष) पूर्ण हो जाने के कारण प्रतिस्थापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि निधि प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 08.08.2019 में समिति द्वारा प्रदेश के 15 शहरों में 1525 सीएनजी बसों के संचालन का अनुमोदन प्रदान किया गया था, इन्ही में से 150 सीएनजी बसें मेरठ में भी उपलब्ध करायी जानी है। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2020 के माध्यम से ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट मॉडल पर उक्त बसों के संचालन का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसकी निविदा कार्यवाही सम्पादित की जानी है।

  कोविड–19 के संक्रमण के कारण प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में एसपीवी मेरठ की बसें किसी अन्य एसपीवी में स्थानान्तरित कर उनके

अनुरक्षण के पश्चात् पुनः संचालन पर विचार कर लिया जाये। जिस एस0पी0वी0 को बसें स्थानान्तरित की जाय, उसके द्वारा मेरठ एस0पी0वी0 को इन बसों के वर्तमान आंकलित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

अन्य बिन्दुओं पर समिति द्वारा अनुपालन आख्या को संज्ञान में लिया गया।

- **बिन्दु संख्या–3 एवं 4** (यथा–इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग डिपो की भूमि के लिए सम्भावित वित्तीय व्ययभार की व्यवस्था तथा इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के संबंध में) मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बसों के अनुरक्षण हेतु नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा प्रेषित वांछित भूमि/इन्फ्रास्ट्रक्चर के मानकीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।
- अनुपालन आख्या के अन्य बिन्दुओं का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

बैठक में प्रस्तुत किये गये नये प्रस्तावों के विषय में समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गएः–

प्रस्ताव–1 <u>एसपीवी के घाटे की प्रतिपूर्ति</u>

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में संचालित बसों से होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति मद में अनुमानित धनराशि रू0 72.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 की लम्बित देयता की धनराशि रू0 12.64 करोड़ कुल रू0 84.64 करोड़ अनुमोदित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना में प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहांपुर में संचालित की जाने वाली 100 इलेक्ट्रिक बसों हेतु रू0 45.00 लाख प्रति बस की दर से कुल रू0 45.00 करोड़ की अनुदान राशि निदेशालय के निवर्तन पर उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया गया कि VGF एवं अनुदान मद की धनराशियों के प्रस्ताव भविष्य में अलग–अलग मदों में प्रस्तुत किये जाये।

प्रस्ताव–2 <u>सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज के एमएसीटी वादों के प्रतिकर के भुगतान के संबन्ध में</u>

निधि प्रबंध समिति की विगत बैठक दिनांक–08.08.2019 में समिति द्वारा निर्देशित समिति द्वारा निर्देशित किया गया था कि ''चूंकि एमएसीटी वाद के प्रतिकर का भुगतान न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, ऐसी स्थिति में भविष्य में एमएसीटी वाद के प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अधिकृत करते हुये उनके स्तर से ही वित्तीय स्वीकृतिया निर्गत कर दी जाये। इस मद पर किये गये व्यय से समिति को अवलोकित करा दिया जाया करें।''

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण (Motor Accident Claim Tribunal) द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में होने वाली मोटर दुर्घटना वादों के क्लेम का न्यूनतम 10–20 प्रतिशत धनराशि संबंधित चालक के देयकों/वेतन आदि से वसूल करने के संबध में विचार कर नीति का निर्धारण किया जाय। इस संबंध में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन में प्रचलित व्यवस्था का भी संज्ञान लेकर नीति बनायी जाय एवं तदनुसार वसूली का प्रतिशत निर्धारित किया जाय।

प्रस्ताव–3 <u>एसपीवी लखनऊ के दुबग्गा डिपो व गोमतीनगर डिपो के बकाया गृहकर के भुगतान के संबन्ध में</u>

समिति के समक्ष नगर निगम, लखनऊ द्वारा विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ तथा हरदोई रोड़ स्थित दुबग्गा डिपो के बकाया गृहकर की मांग का प्रकरण समिति के समक्ष भुगतान पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। गोमतीनगर डिपो हेतु गृहकर की कुल धनराशि रू0 93,20,306.00 में मूल धन रू0 65,32,925.00 एवं ब्याज रू0 27,87,381.22 तथा दुबग्गा डिपो के गृहकर की धनराशि रू0 2,67,89,298 में मूल धन रू0 2,41,78,067.00 एवं ब्याज रू0 26,11,231.18 सम्मिलित है। उक्त धनराशि को समर्पित नगरीय परिवहन निधि से भुगतान पर अनुमोदन का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निर्देशित किया गया कि अवगत करायें कि गृहकर की धनराशि का वर्षवार विवरण एवं ब्याज की धनराशि का वर्षवार विवरण क्या है। यदि यह देयताएं विगत वित्तीय वर्षों की हैं, तो इनका भुगतान ससमय क्यों नही किया गया, इस बिन्दु पर भी स्थिति स्पष्ट की जाय। चूंकि नगर विकास विभाग, नगरीय परिवहन तथा नगर निगम दोनों का प्रशासकीय विभाग है। अतः इस बिन्दु पर भी परीक्षण कर लिया जाय कि नियमों के अन्तर्गत ब्याज एवं मूलधन की देय धनराशि में माफी अथवा छूट प्रदान की जा सकती है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार निधि प्रबंध समिति की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव–4 <u>महानगर गोरखपुर में 02 लो फ्लोर वातानुकूलित पूर्ण निर्मित, इलेक्ट्रिक बसें (12 मीटर) क्रय के संबंध में।</u>

गोरखपुर महानगर में पार्किंग स्थल से एयरपोर्ट तक संचालन हेतु दो लो फ्लोर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के क्रय पर कार्योत्तर अनुमोदन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि गोरखपुर में बसों के चार्जिंग की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है, इस तथ्य की पुष्टि नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा कर ली जायेगी।

प्रस्ताव–5 प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग डिपो बनाये जाने हेतु भूमि की रजिस्ट्रीकरण–फीस के भुगतान के संबंध में।

प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु चिन्हित भूमि मौजा जहांगीराबाद, तहसील करछना, क्षेत्रफल 9130 वर्ग मीटर के विक्रय विलेख पत्र के निष्पादन एवं रजिस्ट्री शुल्क धनराशि कुल रू0 24.55 लाख प्रयागराज विकास प्राधिकरण को भुगतान करने के प्रस्ताव पर समिति द्वाराअनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव–6 मुरादाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु भूमि क्रय हेतु सम्भावित वित्तीय व्यय भार के संबंध में।

मुरादाबाद में 25 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु चार्जिंग डिपो निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता के क्रम में धनराशि रू0 36.97 करोड़ का भुगतान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को कराये जाने के बिन्दु पर समिति द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि चार्जिंग शेड के लिये निःशुल्क भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय अथवा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से लीज पर भूमि लिये जाने के विकल्प पर भी विचार कर लिया जाय। जिलाधिकारी, मुरादाबाद से कोई शासकीय भूमि निशुल्क प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा सकता है। तदनुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

प्रस्ताव–7 इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि यदि अनुबंध हस्ताक्षरित होने की तिथि दिनांक 11.03.2020 से 08 माह (नवम्बर, 2020) में संचालक को चार्जिंग डिपो तैयार करके उपलब्ध नहीं कराया गया, तो आर0एफ0पी0 /अनुबंध की शर्तों में उल्लिखित Penal Clause के अनुसार दण्ड क्षति के रूप में संचालक का बकाया ऋण एवं समायोजित इक्विटी (Adjusted Equity) का 150 प्रतिशत धनराशि का भुगतान निदेशालय द्वारा संचालक को करना पड़ेगा।

समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग शेड हेतु आगणन का गठन शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया गया है।

समिति द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 233.71 करोड़ में मुरादाबाद में भूमि क्रय हेतु वांछित धनराशि रू0 36.97 करोड़

एवं गृहकर मद में नगर निगम लखनऊ को भुगतान की जाने वाले धनराशि रू0 3.61 करोड़ को हटाते हुये शेष धनराशि रू0 193.13 करोड़ (रू0 एक सौ तिरान्नबे करोड़ तेरह लाख) समर्पित नगरीय परिवहन निधि को उपलब्ध कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण की तात्कालिक/समयबद्ध आवश्यकता तथा प्रदेश सरकार के लिये महत्वपूर्ण परियोजना होने तथा परियोजना में केन्द्र सरकार की वित्तीय भागीदारी के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में DUTF मद में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 करोड़ के अतिरिक्त वांछित प्रश्नगत धनराशि रू0 193.13 करोड़ उपलब्ध कराये जाने पर वित्त विभाग से अनुरोध करने का मत समिति द्वारा स्थिर किया गया।

उपरोक्तानुसार हुए विचार–विमर्श तथा निर्णय के पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव/सदस्य सचिव, निधि प्रबन्ध समिति।